

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- (3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
- (4) समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक || अक्टूबर, 2018

विषय:-पंचायत पुरस्कार 2019 के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन/मार्ग-निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अद्वृशासकीय पत्र संख्या-एन०-11019/20/2018-गर्वनेन्स दिनांक 26 सितम्बर, 2018 एवं www.panchayataward.gov.in पर उपलब्ध मार्गनिर्देशिका द्वारा पंचायत पुरस्कार, 2019 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के वर्ष 2017-18 के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ऑनलाइन नामांकन करने हेतु सामान्य एवं सामान्य+विषयगत श्रेणी की प्रश्नावलियां भारत सरकार की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2017-18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 हेतु ऑन-लाइन नामांकन किया जा सके। उक्त के क्रम में निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

1— योजना का उद्देश्य :-

- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

2— सामान्य निर्देश :-

- त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2017-18 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरकर स्वमूल्यांकन कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- इस प्रकार ऑनलाइन भरी हुई प्रश्नावलियों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2931(1)/33-3-2015-153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार स्टेट पंचायत परफारमेन्स कमेटी (SPPAC) द्वारा अंकों के अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 02

जिला पंचायतों का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

- उपर्युक्त पुरस्कार हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से सम्यान्तर्गत भारत सरकार की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं) के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी की ई-मेल आईडी पर तथा जिला पंचायतों के यूजर आईडी और पासवर्ड सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी की ईमेल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के दो श्रेणी यथा सामान्य एवं सामान्य+विषयगत दिये गये हैं। सामान्य पुरस्कार हेतु पंचायतों द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली (सामान्य प्रश्नावली) के माध्यम से एवं सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु सामान्य प्रश्नावली एवं भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों में से किसी एक विषय पर 20 अंकों वाली प्रश्नावली पर आवेदन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी या सामान्य+विषयगत श्रेणी में तथा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा चयनित 09 विषयों की सूची निम्नवत् है:-
 - 1— साफ—सफाई।
 - 2— नागरिक सेवायें (पानी, स्ट्रीटलाईट, बुनियादी संरचना)।
 - 3— नवाचार के प्राकृतिक प्रबन्धन संसाधन।
 - 4— अधिकारहीन वर्ग की सेवायें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/महिलाओं/वरिष्ठ नागरिक)।
 - 5— सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन।
 - 6— आपदा प्रबन्धन।
 - 7— ग्राम पंचायतों को स्वयं सेवी संस्थाओं/सी०बी०ओ० द्वारा दी जा रहीं सेवायें।
 - 8— राजस्व को बढ़ावा
 - 9— ई—गर्वनेन्स।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी जनपद से 02 क्षेत्र पंचायतों तथा 02 ग्राम पंचायतों से अधिक का प्रस्ताव पुरस्कार के लिए नहीं किया जायेगा।
- स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी से प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली 30 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का भारत सरकार द्वारा सत्यापन कराकर दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को कुल चयनित पंचायतों में से एक तिहाई ग्राम पंचायतों को सामान्य+विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में तथा शेष पंचायतों को सामान्य पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।
- नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु भी उक्त वेबसाइट पर ही समान प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 100 अंकों वाली सामान्य प्रश्नावली पर नामांकन किया जायेगा।

3- आवेदन एवं चयन प्रक्रिया:-

दीन दयाल पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2019 (सामान्य एवं विषयगत) की प्रश्नावलियाँ ऑन-लाइन निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेंगी :—

(1) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायतें उपलब्ध प्रश्नावलियों पर वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यों के आधार पर ऑन-लाइन अपने स्तर से फ्रीज कर जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को अग्रसारित करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रश्नावलियों का अनुमोदन कर पंचायतों को राज्य स्तर पर गठित स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसारित कर फ्रीज करेंगी। यह कार्य वेब-पोर्टल www.panchayataward.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में— दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायत पुरस्कार के वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में ग्राम पंचायत द्वारा 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर तथा सामान्य+विषयगत पुरस्कार हेतु 9 विषयों में से किसी एक विषय की 20 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पं०) की देख-रेख में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ऑन-लाइन भर कर फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ, जो जनपद स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या—2931(1)/33-3-2015-153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन-लाइन उपलब्ध हो जायेंगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रश्नावलियों का परीक्षण कर अनुमोदित पंचायतों की सूची स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को ऑन-लाइन फ्रीज कर अग्रसारित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) से स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPPAC) को अग्रसारित करने वाली पंचायतों की कुल संख्या 08 ग्राम पंचायत प्रति जनपद से कम न हो।

(3) क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में—दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु पंचायतीराज की वेब-पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर उपलब्ध सामान्य श्रेणी में क्षेत्र पंचायत की 100 अंकों वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी(पं०)/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख की देख-रेख में साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन भर कर प्रश्नावलियाँ फ्रीज की जायेंगी। प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उत्तरालेखन के साक्ष्यों की जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की होगी। इस प्रकार फ्रीज की गयी प्रश्नावलियाँ जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) को परीक्षण हेतु ऑन-लाइन उपलब्ध हो जायेगी। जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (Distt. PPAC) द्वारा क्षेत्र पंचायतों के प्रस्तुतीकरण एवं

